संचिका सं0–7 / बजट–46–11 / 2026 – 275(7A)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

कुमार रवि,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वारा:– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनाक– 06 / 08 / 2026

विषय:– सात निश्चय–3 (सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन) के अंतर्गत लोक–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के तहत 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेन्टल कॉलेज एव अस्पताल सहित) को संचालित किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से Transaction Advisor के रूप में चयनित PricewaterhouseCoopers Private Limited (PWC) को LOA निर्गत करने तथा इस पर होने वाले व्यय की कुल राशि रू0 8,27,00,300/–(रूपये आठ करोड़ सत्ताईस लाख तीन सौ) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य में आमजनों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण विभिन्न प्रकार के उच्च तकनीकी युक्त चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों मे लगातार वृद्धि करने हेतु राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील एवं कृत संकल्पित है। इस क्रम में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत संकल्प सं0–1587 दिनांक–16.12.2025 द्वारा सात निश्चय–3 (2025–30) अंतर्गत विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रम/नीति को लागू करने तथा प्रस्तावित कार्य "सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन" अंतर्गत स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में नये चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में बेहतर पढ़ाई एवं ईलाज के लिए लोक–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) को प्रोत्साहित करना है, जिसके तहत राज्य के 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) को लोक–निजी भागीदारी के तहत संचालित किया जाना है।

2– उक्त 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) को निम्नवत् दो कोटियों में विभक्त किया गया है:–

ब्राउनफील्ड कोटि "ए" (चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)		**ब्राउनफील्ड कोटि "बी"** (चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल)
1. समस्तीपुर	7. सीवान	1. पावापुरी, नालन्दा
2. सारण	8. बेगुसराय	2. मधेपुरा
3. मधुबनी	9. सीतामढी	3. पूर्णिया
4. वैशाली	10. जमुई	4. रहुई, नालन्दा (डेन्टल कॉलेज)
5. भोजपुर	11. मुंगेर	
6. बक्सर	12. सुपौल	

F-Dep-7<Kunal <Rajayadesh// AiimsDarbhanga

कोटि "ए":– इस श्रेणी में कुल 12 वैसे संस्थान है, जिनमें भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है अथवा पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही इन संस्थानों में भवन निर्माण के साथ NMC के दिशा–निर्देशों के अनुरूप न्यूनतम आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था एवं अधिष्ठापन हो चुकी है अथवा किया जाना है, लेकिन उक्त श्रेणी में अंकित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का संचालन अभी शुरू किया जाना है।

कोटि "बी" :– इस श्रेणी में कुल 4 वैसे संस्थान है, जिनमें भवन निर्माण पूर्व में ही पूर्ण है एवं उपलब्ध उपकरणों के साथ यह वर्तमान में क्रियाशील है। इस संस्थानों में चिकित्सीय प्रबंधन एवं आधुनिक तकनीकयुक्त चिकित्सा सुविधाओं में अपेक्षित सुधार की संभावनाओं को देखते हुए संबंधित संस्थान को "जैसा है, जहॉ है" (यथास्थिति के अनुसार) लोक–निजी क्षेत्र के अंतर्गत विकसित किया जाना है।

3– लोक–निजी भागीदारी के तहत संचालित किये जाने वाले इन 16 संस्थानों के लिए पारदर्शी, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग (DEA) के दिशा–निर्देशों के अनुरूप कार्यान्वयन हेतु DEA Empanelled Transaction Advisor की सेवाएं लिया जाना आवश्यक है।

4– तद्क्रम में बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना के पत्रांक–2868, दिनांक–17.07.2026 द्वारा राज्य के 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेन्टल कॉलेज एव अस्पताल सहित) को लोक–निजी भागीदारी के तहत संचालन के लिए DEA Empanelled Transaction Advisor की नियुक्ति हेतु निविदा निष्पादित करते हुए चयनित निविदादाता PricewaterhouseCoopers Private Limited (PWC), गुरूग्राम, हरियाणा को ब्राउनफील्ड कोटि "ए" के लिए रू0 6,65,39,020/–मात्र एवं ब्राउनफील्ड कोटि "बी" के लिए रू0 1,61,61,280/–मात्र अर्थात कुल राशि रू0 8,27,00,300/–(जी0एस0टी0 एवं सेन्टेज सहित) मात्र पर कार्य आवंटित किये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति एवं LOA निर्गत करने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

5– इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग संख्या–20 के अन्तर्गत, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी, लघु शीर्ष– 110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष– 0131–सुलभ स्वास्थ्य– सुरक्षित जीवन (सात निश्चय–3) विपत्र कोड–20–2210011100131, विषय शीर्ष–28–04 व्यावसायिक/कला/तकनीकी सेवायें मद अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जायेगा। संगत विपत्र कोड अंतर्गत संबंधित विषय शीर्ष में वर्तमान में राशि का उपबंध नहीं है, जिसका प्रावधान पुनर्विनियोग/अनुपूरक आगणन/बिहार आकस्मिकता निधि से किया जायेगा।

6– उक्त परिप्रेक्ष्य में सात निश्चय–3 (सुलभ स्वास्थ्य–सुरक्षित जीवन) के अंतर्गत लोक–निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के तहत 16 ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों (डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल सहित) को संचालित किये जाने हेतु निविदा के माध्यम से Transaction Advisor के रूप में चयनित PricewaterhouseCoopers Private Limited (PWC) को LOA निर्गत करने तथा इस पर होने वाले व्यय की कुल राशि रू0 8,27,00,300/–(रूपये आठ करोड़ सत्ताईस लाख तीन सौ) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7– इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8— अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0–PBBPLA007 विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

9— बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसंगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10— यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2), दिनांक–17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक–06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 एवं 12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11— प्रस्ताव को दिनांक–05.08.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–15 के रूप में सम्मिलित एवं स्वीकृत किया गया है।

12— राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–7/बजट–46–11/2026 के पृष्ठ–...15..../टि0 में प्राप्त है।

13— राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

14— यह मात्र राज्यादेश है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/8/26

(कुमार रवि)

सचिव।

ज्ञापांक:–7/बजट–46–11/2026 – 275(7A)/स्वा0, पटना, दिनांक–06/08/2026

प्रतिलिपि— योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–05.08.2026 में मद संख्या–15 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना।

प्रतिलिपि— सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक/सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/प्राचार्य एवं अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल/प्राचार्य एवं अधीक्षक, डेन्टल कॉलेज एवं अस्पताल, रहुई, नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:— माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई–मेल करने के निर्देश के साथ प्रेषित।

6/8/26

सचिव

F-Dep-7<Kunal <Rajyadesh// AiimsDarbhanga